तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/4/20	बकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 16/6/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
16/6/20	बकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 18/8/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
18/8/20	बकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 20/10/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
20/10/20	बकुलाय उप०

अपील बकुलाय अर्थना पत्र अर्थी विपक्षीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की की गई। अपीलकर्ता अर्थी ने प्रार्थना पत्र मय आशय का विरुद्ध अर्थी पेश किया कि सरपद मोजर ग्राम कलि नगर में स्व. दीपा वल्द लाला के स्वामित्व की एक रिहदे की भूमि अर्द्ध ईदोस्त है जिसके वर्तमान खाता संख्या 117 व पुराना खाता 112 है। जिसके खसरा नम्बर 817 से 823, 828 से 832, 834 से 850, 852 से 869, 877 से 911, 913 से 930, व 937 कुल खसरा 151, कब्जा कुल 87.9100 हेक्टेयर है। यह आराजीयात की भूमि में अर्थी के स्वर्गीय पिता दीपा वल्द लाला का 1/3 हिस्सा आता है। मालिक वंशावली अनुसार अर्थी के पिता अर्थी संख्या 1 खेताराम का समस्त आराजीयात की भूमि में 1/3 का 1/7 हिस्सा यानि 1/56 वां व अपीलकर्ता समस्त आराजीयात में 1/56 का 1/10 वां एक हिस्सा यानि 1/560 एक हिस्से की अर्थी की विवादग्रस्त भूमि है। मृत पुरुष दीपाराम व उनकी पत्नी जमनाबाई अर्थी की पिता व माता की मृत्यु हो चुकी है। अर्थी का उक्त हिस्से की भूमि में लगभग एकमात्र अधिकार चला है। उक्त कृषि भूमि में अर्थी व अपीलीगण व अन्य वारिसान का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में से अर्थी का एक हिस्सा देने से अपीलार्थी वंचित करना चाहते है। जिससे अर्थी अपना कब्जा प्रदर्शित किया से चोखला याने

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया एवं कथन गौर कर मनन किया गया। पत्रावली वास्तव में आवेदी अर्जी की खातेदारी भूमि है एवं कब्जा वाहदारी अर्थी का ही चला आ रहा है उभय पक्षों के मध्य अधिकारों का विनिश्चय भी मूल वाद में ही होगा इस स्थिति में बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध न होकर अर्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित जान पड़ता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 R.T. Act 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली केशव कुमार बनाम नम्बर से कम है। पत्रावली केशव कुमार बनाम नम्बर से कम है। वाद अग्रीम जरूरत मूल वाद के साथ नथी है।

उपखण्ड अधिकारी सोजत

निर्णय आज दिनांक 20/10/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी सोजत

Scanned with CamScanner